

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011— चैत्र 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. बी-4-08-2011-2-पांच (10).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (62)-बी-4-2-08-2-पांच, दिनांक 29-3-2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 22 के अधीन हस्तांतरण की ऐसी लिखतों, जिनमें महिलाओं के पक्ष में निष्पादित लिखतें भी सम्मिलित हैं, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, उन मामलों में, जहां पर यह पांच प्रतिशत से अधिक है, इस प्रकार कम किया जाए जिससे कि वह पांच प्रतिशत हो जाए.

2. यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. बी-4-08-2011-2-पांच (10).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक बी-4-08-2011-2-पांच (10), दिनांक 31 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2011

No. B-4-08-2011-2-V-(10).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), and in supersession of this department's notification No. (62) B-4-2-08-2-V dated 29th March 2008, the State Government, hereby, reduces the stamp duty chargeable under Article 22 of Schedule I-A of the said Act on such instruments of conveyance including those executed in favour of females, so as to maintain it to five percent in cases where it exceeds five percent.

2. This order shall come into force w.e.f. 1st April 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.